कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashlfd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक– 706 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 24/08/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक– 768/01 सी. दिनांक– 01.07.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक– 22.02.2024 में इंगित कमियों की बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जिसमें निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हो रही है–

1. **बिन्दु संख्या–01 के अनुसार प्रश्नगत परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2014 मे प्राप्त है, जिसे काफी लम्बा समय हो गया है। अतः इसे शासन द्वारा पुनः सत्यापन करवाने के पश्चात सत्यापित प्रशासनिक स्वीकृति को अपलोड करने हेतु लिखा गया था, परन्तु आपके द्वारा वर्ष 2014 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति को हो पुनः अपलोड कर दिया गया है। कृपया इसे संशोधित करें।**
2. **बिन्दु संख्या–02 के क्रम में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्र– 257/01 सी0, दिनांक– 04.03.2023 द्वारा पूर्व में अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन की मार्ग नीति के अनुरूप पत्रांक– 8167/III(2)/18–15 (सा.)/2018, दिनांक– 31.12.2018 के बिन्दु संख्या–04 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखत हुये सड़क से 100 मीटर उर्ध्वाद्वर दूरी से कम दूरी के गांव को मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ माना जायेगा, जबकि ग्राम गोरूण एवं पोखरी की दूरी 150–200 मीटर तक है। इसलिए उक्त गांव को सड़क से संयोजकता हेतु अलग से मार्ग की आवश्यकता है। परन्तु उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या– 02 के अनुपालन में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि पक्के मार्ग से गोरूण तक की उर्ध्वाद्वर दूरी 87.5 मीटर है जो त्रुटिवश पूर्व में 150–200 मीटर दिखाई गई। शासनादेश संख्या– 8167/III(2)/18–15(सा.)/2018, दिनांक– 31.12.2018 के बिन्दु संख्या–04 के मानक के अनुसार उक्त गांव की पक्के मार्ग से दूरी 100 मीटर से कम होने के कारण इसे स्वतः ही संयोजित क्यों न समझा जाय। इस सम्बन्ध में अपनी तथ्यात्मक टिप्पणी/आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।**

अतः आपके द्वारा प्रेषित निराकरण आख्या मूल में इस आशय से वापस किया जा रहा है कि उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण करने के पश्चात संशोधित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

O/C

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

D:\DraftMan Letter\Letter.docx